कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 94 दिनांकः– 02/02/2023

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/बोकारो।
वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/बोकारो।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची/रामगढ़/बोकारो।

विषय :– **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग–NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़–गोला–ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल 99.7862 हे0 (बोकारो वन प्रमंडल अंतर्गत 66.5436 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत हेतु 28.9869 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल अंतर्गत 4.2557 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 67 दिनांक 19.01.2023 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल राँची का पत्रांक 115 दिनांक 20.01.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा विषयगत परियोजन हेतु कुल **99.7862 हे0** वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव सं0 FP/JH/ROAD/146250/2021 हेतु प्रस्ताव **ऑन–लाईन** तथा प्रत्येक वन प्रमंडल से पांच–पांच प्रतियां इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की पूर्ण समीक्षा के क्रम में निम्नांकित त्रुटियां/कमियां परिलक्षित हुई हैः–

1. बोकारो वन प्रमंडल में कुल 59.6084 हे0 **जंगल–झाड़** उपयोग हेतु उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक 2709/(रा) दिनांक 10.10.2022 द्वारा आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को अग्रसारित किया गया है परन्तु आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है।
2. उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक 1439/क0, 1440/क0 दिनांक 22.10.2022 एवं पत्रांक 1447/क0 दिनांक 28.10.2022 द्वारा निर्गत FRA प्रमाण–पत्र प्राप्त है साथ ही इस क्रम में आमसभा/ग्रामसभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति संलग्न है। **परन्तु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 28.9869 हे0 वनभूमि हेतु FRA प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है।**
3. उपायुक्त, बोकारो से FRA प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं है इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता दी गयी है।
4. भारत सरकार, द्वारा निर्धारित प्रपत्र Part-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा अभियुक्ति दर्ज करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित कर Website पर अपलोड नहीं किया गया है।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मात्र वनभूमि का ही KML file अपलोड किया गया है। गैर–वनभूमि का KML file अपलोड नहीं किया गया है जबकि इस परियोजना हेतु प्रस्तावित संपूर्ण वनभूमि एवं गैर–वनभूमि का KML file अपलोड किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त उल्लेखित कमियों/त्रुटियों का निराकरण **शीघ्र** इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि राज्य सरकार को स्टेज–I की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा सके।

विश्वासभाजन

02.02.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

2.2.23